रामचन्द्र वि० सुरेश
76/2011 धारा 212

13.04.2017

सारांश प्रा०प० इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने RTA
की धारा 212 के प्रा०प० इस आशय का प्रस्तुत
किया कि प्रार्थीगण को कब्जे समस्त एवं खातेदारी
की आराजी न० 1304 मी. रकबा 01 बिस्वा 04 बिस्वा म
से 01 बिस्वा भूमि मौजा आदलोढ़ा में स्थित है जिसके
पड़ोस पूर्व - आम रास्ता, पश्चिम छीतलाल माली की जमीन
उत्तर बोदाराम जी का बगीचा, दक्षिण विपक्षीगण का मकान है
उक्त जमीन पर विपक्षीगण का कोई हक अधिकार
नहीं होते हुए भी जबरन आमादा है अतिक्रमण करने
की गरज से नाले, खिड़की दरवाजे, रोशनदान व छज्जा
रखना चाहते है और जबरदस्ती आवागमन करना चाहते है
और प्रार्थीगण की राजस्व जमीन की उपयोगिता को खत्म
करना चाहते है विपक्षीगण लड़ाकू एवं झगड़ालू किस्म के
व्यक्ति है पहले भी सार्वजनिक रास्ते की जमीन पर
अवैध निर्माण कार्य करने लगे इस पर उनके खिलाफ
कार्यवाही करवाया इस वजह से ये और झगड़ा
कर रहे है। दिनांक 1.6.2011 को धमकी दी कि
प्रार्थीगण की खरीद शुदा जमीन पर खिड़की रोशनदान
बारी, नाले, रखेंगे, छज्जा रखेंगे तथा प्रार्थीगण को
जमीन का उपयोग उपभोग नहीं करने देंगे। समझाईश
करने पर भी मानने को तैयार नहीं है। विपक्षीगण
को पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को
भारी अपूरणीय क्षति कारित होगी इसलिए प्रार्थीगण
का प्रा०प० स्वीकार फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को
जरिये हुकमनामा तलब किया गया। बोरजी पेशी
विपक्षीगण की ओर से प्रा०प० के तथ्यों को अस्वीकार
करते हुए जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण द्वारा दर्शाये
गए आम व पड़ोसियान के मध्य आम रास्ता व आने जाने
वाले रास्ते का नहीं होकर हवा आदि मौजा आदलोढ़ा
में आम जनता के आने जाने का रास्ता है
जिस पर पंचायत द्वारा करीब 20 फुट चौड़ा रास्ते
को पट्टी पत्थर के रूप में निर्मित किया हुआ है।
विपक्षीगण एवं उनके अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में

→

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.12.31 15:55:22 IST
Reason: SelfAttested

→

दिनांक 17/11/2016 से आपत्ति नहीं देने से विपक्षीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किए जाने के आदेश पारित किए गए। तथा विपक्षीगण का प्रकरण में अवसर भी अपोषणीय हो जाता है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस एक पक्षीय सुनी गई जिन्होंने प्रा० प० में वर्णित तथ्यों को दोहराया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अवलोकन किया गया। मूल खातेदार श्री छीतलाल माली से प्रार्थीगण द्वारा मौजा भादसोड़ा की आराजी 1304मी. रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा में विक्रेता का हक हिस्सा क्रय किया गया है क्रय किए जाने वाले भू-भाग के पड़ोस पंजीकृत दस्तावेज में वर्णित है जिसका वर्णन प्रा. प. में भी किया गया है चूंकि भूमि कृषि वर्णित होकर प्रार्थीगण का भी उक्त आराजी में हक हिस्सा निहीत है जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा नवीन संरचना यथा रोशन दान, खिड़की, नाला इत्यादि रखे जाना प्रकट होता है। पुलिस थाना भादसोड़ा की रिपोर्ट दि. 29.8.11 प्रा. प. के तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः सुविधा सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 RTA स्वीकार किया जाता है तथा मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर है कि मौजा भादसोड़ा की खा० न० 1304मी. में प्रार्थीगण द्वारा क्रय आराजी जिसके पड़ोस पूर्व-आम रास्ता, पश्चिम छीतलाल माली की जमीन, उत्तर बोहरा जी का बगीचा ; [illegible] उक्त चारों पड़ोस के मध्य के [illegible] की साफल, खिड़की दरवाजा [illegible] नहीं रखे न ही किसी प्रकार से [illegible] में दाखल अस्थाई पैदा नहीं करे न [illegible] किसी प्रतिनिधि के माध्यम से करावे।

निर्णय खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

13.4.17

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.12.31 15:55:22 IST
Reason: SelfAttested